न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 10/2021

प्रार्थीगण :—

1 मनीष पुत्र स्व. भरतसिंह ,
2 दरिया कंवर पत्नी स्व. भरतसिंह,
3 प्रियंका पुत्री स्व. भरतसिंह,
4 सीमा पुत्री स्व. भरतसिंह,
5 टीना पुत्री स्व. भरतसिंह जाति चारण निवासीगण चारणों का बास रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1 अमरदीपसिंह पुत्र स्व. सवाई सिंह
2 प्रिति कंवर पुत्री स्व. सवाई सिंह
3 महादेवसिंह पुत्र स्व. सवाई सिंह
4 राज कंवर पत्नी स्व. सवाई सिंह
5 वसुदेव पुत्र स्व. हरिसिंह जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजतत जिला पाली राजस्थान
6 तहसीलदार(भूमि धारक) तहसील सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. श्री भुण्ड़ाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06 उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 15/12/22

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दड़ी, पटवार हल्का अलावास, भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 275 के खसरा नंबर 231, 530, 531, 532 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.4900 है0 किस्म बा0दो0, गै0मु0 बेरा, गै0मु0 सड़ा, गै0मु0 रास्ता की कृषि भूमि स्थित है। खसरा नंबर 530, 532 किस्म गै0मु0बेरा, गै0मु0 रास्ता की भूमि है, जिनका बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता है राजस्व रेकर्ड में संयुक्त रूप से उक्त खसरा सम्मिलित होने से इनको प्रा0 पत्र में अभिलिखित किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज हरिसिंह पुत्र खेमदान जाति चारण नि0 रेन्दडी तह0 सोजत जिला पाली राज0 की हकूक खातेदारी की कृषि भूमि थी। हरिसिंह पुत्र खेमदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी का देहान्त हो चुका है। जिनका वंशवृक्ष अनुसार स्वर्गीय हरीसिंह पुत्र श्री खेमदानजी चारण, दरियाव कंवर पत्नि स्वर्गीय हरिसिंह, सवाईसिंह, भरतसिंह, वसुदेव पि0 स्वर्गीय हरिसिंह गुलाब कंवर, माणक कंवर, प्रकाश कंवर पुत्रीया स्वर्गीय हरिसिंह, राजकंवर पत्नी सवाई सिंह अमरदीपसिंह पुत्र सवाईसिंह महादेव सिंह पुत्र सवाई सिंह अमरज्योति/प्रिती कंवर पुत्री सवाई सिंह, दरिया कंवर पत्नी वसुदेव सिंह मनीष पुत्र वसुदेव सिंह, प्रियंका, सीमा, टीना पुत्रिया वसुदेव सिंह , सरला कंवर, निलम कंवर, टीना कंवर, जीतु कमल पुत्रीया माणक कंवर है उपरोक्त वंशवृक्ष अनुसार श्री हरिसिंह पुत्र श्री खेमदान चारण जाति चारण निवासी रेन्दड़ी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता/पति भरतसिंह अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति सवाईसिंह तथा अप्रार्थी 5 वसुदेव तथा उनकी पुत्रियां गुलाब कंवर, माणक कंवर, प्रकाश कंवर हुई। जिसमें से भरतसिंह की मृत्यु हो जाने से उनके उतराधिकारी प्रार्थीगण है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का बराबर—बराबर हक हिस्से पर कब्जा काश्त है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से माफिक वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर हर वर्ष फसल बुवाई करते है तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि

उपखण्ड अधिकारी

की भूमि बेरे कुएं से अपनी कृषि जोत की भूमि की फसल की पिलाई करते है। प्रार्थीगण का बाध रूप से वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/20–1/20 हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा अब अप्रार्थी संख्या 1 व 4 प्रत्येक का 1/16–1/16 तथा अप्रार्थी संख्या 5 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज है। अप्रार्थी संख्या 5 उक्त राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज 1/2 हक हिस्सेनुसार उपरोक्त कृषि जोत की भूमि पर कब्जा करना चाहा रहा है जबकि उक्त कृषि जोत की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 5 का 1/3 हक हिस्से की भूमि ही आती है। अप्रार्थी संख्या 5 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हक से अधिक भूमि इन्द्राज होने से उसकी नियत में खोट आ चुकी है वह 1/2 हक हिस्से की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहता है तथा वादस्थ कृषि भूमि में बाधा एवं अड़चन कर रहा है तथा वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि में बने हुए से फसल में पानी पिलाई से रोकता है तथा नाजायज दखलंदाजी करता है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्तसुदा 1/20 हिस्से की भूमि पर नाजायज रूप से बेदखल कर उस पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 05 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 अपने हक हिस्से पर कब्जा कर निर्माण करने पर भी आमदा है तथा अवैध रूप से पत्थर एवं छीणे लाकर रख दी है तथा कभी भी मौका देखकर तारबंदी कर सकते है। प्रार्थीगण का वर्तमान राजस्व रेकर्ड 1/4 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 04 का 1/4 हक हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 05 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। जो इन्द्राज गलत है। जिसकी दुरूस्ती बाबत् प्रार्थीगण दस्तावेज एवं रेकर्ड प्राप्त कर पृथक से न्यायालय हाजा में वाद पेश करेगा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 05 जोर जबरदस्ती कर कब्जा कर निर्माण करने पर आमदा होने से उक्त वाद आवश्यक प्रकृति का होने से न्यायालय हाजा मे पेश है। अप्रार्थीगण अपने वादग्रस्त कृषि जोत भूमि पर कृषि भूमि की गुणवता को ध्यान दिये बिना पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा को नहीं मानते हुए बिना बंटवाड़ा करवाये अपने मनमर्जी से कब्जा करने में समर्थ हो जाते है व तारबंदी कर देते हैं तो प्रार्थीगण को भारी हक तलफी होगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। जिस क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जाना संभव होगा। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ये अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को प्राप्त करने का अधिकार है कि अप्रार्थिगण जब वादग्रस्त कृषि जोत भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवा कर अलग से कब्जा प्राप्त नही कर ले तब तक वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि या पूर्व में हुए मौखिक बंटवाड़ा की माठ धोरा पाली नही तोडे एवं मर्जी माफिक कब्जा नही करे व तारबंदी इत्यादि नही करे। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर सरहद मौजा ग्राम रेन्दड़ी, पटवार हल्का अलावास, भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 275 के खसरा नंबर 231, 530, 531, 532 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.4900 है0 किस्म बा0दो0, गै0मु0 वेरा, गै0मु0 सड़ा, गै0मु0 रास्ता की कृषि भूमि का ताफैसला अर्थात् मूल वाद निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि में रदोबदल नहीं करे तारबंदी नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 06 को नोटिसेज बास्ते जबाव प्रा0 तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 06 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

उपखण्ड अधि...
सोजत (राज.)

अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0 पत्र गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आधारहीन पेश किया हैं जिसमें प्रार्थीगण कतई सफलता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 231 का प्रार्थी ने बंटवाड़ा नहीं होने एवं उक्त कृषि भूमि सम्मिलित होने के कथन अंकित किये है। जबकि उक्त कृषि भूमि के साथ ही अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 277 27, 279, 280, 281 कुल खसरा 05 कुल रकबा 8.900 है0 कृषि भूमि का भरतसिंह एवं वासुदेव के बीच आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया था तथा दिनांक 06.02.2013 को आपसी सहमति से राजीनामा माफिक एक इकरारनामा प्रार्थीगण के पिता भरतसिंह एवं अप्रार्थी वासुदेव के बीच निष्पादित कर दिया जिसमें खसरा नंवर 231 रकवा 3. 2800 है0 अप्रार्थी वासुदेव व उनके भाई सवाई सिंह के वारिसान के वंट व हिस्से में रखा गया था खसरा संख्या 277 से 281 में 1/8 हिस्से की भूमि का प्रार्थीगण के पिता भरतसिंह के बंट व हिस्से में रखा गया था तथा पूर्व में हुए उसी बंटवाड़ा माफिक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अलग–अलग काबिज काश्त चला आ रहा है खसरा संख्या 531, 530 का हकतर्कनामा भरतसिंह ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 05.05.2013 को अप्रार्थी वासुदेव के पक्ष में निष्पादित कर दिया था जिसमें खसरा संख्या 531, 530 का एकमात्र मालिक अप्रार्थी वासुदेव ही हुआ ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण ने तथ्यो को छुपाते हुए वाद पत्र पेश किया है। उक्त कृषि भूमि हरीसिंह पुत्र खेमदान के खातेदारी कब्जा काश्त की थी यह सही है कि हरिसिंह का देहान्त हो चुका है। इस पद में प्रार्थीगण हरीसिंह की जो वंशावली बताई जो सही है। वादग्रस्थ कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा नहीं रहा है। खसरा संख्या 530, 531 का हकतर्कनामा भरतसिंह ने अप्रार्थी वासुदेव के पक्ष में निष्पादित कर दिया था तथा खसरा संख्या 531 बंटवाड़ा के तहत अप्रार्थीगण वासुदेव को सुपुर्द कर दिया था जिससे प्रार्थीगण के पिता भरतसिंह का कोई बंट व हिस्सा उक्त कृषि भूमि में नहीं रहा जिससे प्रार्थीगण का भी उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा चूंकि हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने के वजह से प्रार्थीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है अप्रार्थी वासुदेव द्वारा उक्त हकतर्क के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने एवं खातेदार दर्ज करने बाबत् राजस्व मूल वाद पेश किया है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है न ही प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त कृषि भूमि पर फसल की बोवाई कटाई नहीं की जा रही है, न ही फसल को पानी पिलाई की जा रही है प्रार्थीगण का 1/20 हिस्सा कतई नही है न ही कोई कब्जा काश्त है मात्र राजस्व रेकर्ड जमावंदी में नाम इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए यह झूठा वाद पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 05 का 1/3 हिस्सा आता है जबकि उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 530, 531 का हकतर्कनामा भरतसिंह द्वारा अप्रार्थी संख्या 05 के पक्ष में निष्पादित कर देने से उक्त भूमि के एकमात्र मालिक व स्वामी अप्रार्थी संख्या 05 ही हुआ अप्रार्थी संख्या 05 के नियत में कतई खोट नहीं आई है, जबकि प्रार्थीगण के नियत में खोट आई है, प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में अपना नाम देखकर अप्रार्थी संख्या 05 को बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त भूमि को बेचान हस्तान्तरण करने पर आमदा है जब उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा ही नहीं तो उनके कब्जा काश्त में आया अवरोध पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है,

उपखण्ड [illegible]री,
सोजत [illegible]

प्रार्थीगण का वादस्थ भूमि में कोई किसी प्रकार का 1/20 हिस्सा नहीं है । वादस्थ कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त ही है खसरा संख्या 530, 531 का हकतर्कनामा प्रार्थीगण के पिता द्वारा अप्रार्थी वासुदेव के पक्ष में निष्पादित कर देने से एवं खसरा संख्या 231 बंटवाड़े के अप्रार्थी संख्या 05 को सुपुर्द कर देने से प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। जिससे प्रार्थीगण के खातेदारी हकूको पर कुठार घात होने से का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण ने तथ्यो को छुपाते हुए वाद पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.11.2020 को वाद कारण उत्पन्न होने के कथन किये है। लेकिन प्रार्थीगण ने अपने पूरे वाद पत्र में कही पर भी दिनांक 20.11.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा कारण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में कथन नही किये है। बिनायदावा के अभाव में वाद अन्तर्गत धारा 07 नियम 11 सीपीसी के तहत काबिले खारीज के है। पद संख्या 08, 09 कानूनी बताया है। प्रार्थी की ईस्तदुआ है जो प्रार्थी कतई प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दड़ी, पटवार हल्का अलावास, भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत जिला पाली के वर्तमान खाता संख्या 275 के खसरा नंबर 231, 530, 531, 532 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.4900 है0 किस्म बा0दो0, गै0मु0 बेरा, गै0मु0 सड़ा, गै0मु0 की कृषि भूमि का ताफैसला अर्थात् मूल वाद निर्णय तक वादस्थ कृषि भूमि में रदोबदल नहीं करे तारबंदी नहीं कर, वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर अपनी मर्जी माफिक कब्जा न करने व किसी अन्य से न कराये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिक्ता अप्रार्थी संख्या 05 ने दौराने बहस व्यक्त किया है कि अप्रार्थी संख्या 5 ने कभी भी धोरा पाली व माठो को नहीं बिखेरे है न ही प्रार्थीगण के साथ कभी कोई लडाई झगड़ा टंटा फसाद किया है। प्रार्थीगण के सभी कथन गलत एवं झूंठ है प्रार्थीगण ने गलत एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे सहव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वर्तमान परिपेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

—::आदेश::—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत